

**ग्रामीण विकास विभाग**  
**झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी (जेएसएलपीएस)**

दिनांक 31 दिसम्बर 2021

**—:मार्गदर्शिका:—**

यह मार्गदर्शिका अभ्यर्थियों के लिए है जो जेएसएलपीएस के निम्नांकित पदों हेतु इस मार्गदर्शिका के प्रकाशन तिथि के उपरांत जारी किए गए नियुक्ति विज्ञापन के आलोक में अपना आवेदन निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप समर्पित करना चाहते हैं।

1. सामुदायिक समन्वयक (CC)
2. फील्ड थीमैटिक कॉर्डिनेटर (FTC)
3. एडमिन असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर—जिला (AACCO)
4. ऑफिस अटेंडेंट—जिला (OA)
5. एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर—प्रखंड (AACCO)
6. ऑफिस कम अकाउंट असिस्टेंट—प्रखंड (OCAA)

इस मार्गदर्शिका के तीन भाग हैं जिसे आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को संबंधित नियुक्ति विज्ञापन में प्रसारित नियुक्ति शर्तों के साथ-साथ अनिवार्य रूप से पढ़ते तथा समझते हुये एवं तदनुसार सहमति के साथ अपने आवेदन प्रस्तुत करने होंगे।

मार्गदर्शिका के तीन भाग निम्नानुसार हैं—

1. प्रशासी निकाय, जेएसएलपीएस के द्वारा स्वीकृत चयन प्रक्रिया
2. अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित जिलों की सूची एवं नियुक्ति हेतु दिशा-निर्देश
3. विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित आयुसीमा, अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य तकनीकी अर्हता, अनिवार्य कार्यानुभव तथा निर्धारित मानदेय विवरण

1. प्रशासी निकाय, जेएसएलपीएस के द्वारा स्वीकृत चयन प्रक्रिया

1. JSLPS will give preference to select suitable candidates who are able work with rural poor, especially the women and their institutions. For the purpose, local candidates having knowledge of local language and local culture will be preferred with all other requirements.
2. Reservation Roster will be followed for hiring services of full time Consultants too.
3. For following positions, district reservation roster system as circulated by the Personnel Department, GoJ will be applicable.
  - a. Community Coordinator (CC)
  - b. Field Thematic Coordinator (FTE)
  - c. Admin Assistant Cum Computer Operator (AACCO) – District
  - d. Office Attendant (OA) – District
  - e. Admin Assistant Cum Computer Operator (AACCO) – Block
  - f. Office cum Account Assistant (OCAA) - Block
  - g. District Accounts Officer (DAY-NRLM)-DMMU
  - h. District Accountant (DAY NRLM),(JOHAR) & (JHIMDI)-DMMU
  - i. Block Accounts Officer (NRETP)-BMMU
4. For all other positions, existing state reservation roster will continue as it is applicable. JSLPS will ensure this to be followed completely.
5. Cut off for unreserved and reserved category will be applicable as similar to other selection process, conducted by the State Government. This will be applicable in each stage/level of selection process. The cut off is defined as follows.
  - a. For Unreserved – 40%
  - b. For BC II – 36.5%
  - c. For BC I – 34 %
  - d. For SC and ST – 32%
  - e. For handicapped (all categories) – 32%

6. The selection process and weightage of different stage/level of selection will be as follows.

For all positions with state reservation roster	For all positions for which district reservation roster is applicable
<p>☑ Stage/Level 1 – Written Test (subjective/Objective) with 60% weightage</p> <p>☑ Stage/Level 2 – Group Discussion/Psychometric Test with 20% weightage.</p> <p>☑ Stage/Level 3 – Personal Interview with 20% weightage</p> <p><b>Note:</b> For COO/SPM/PM/Level 4 positions, instead of group discussion/psychometric test, presentation on related topic may be taken.</p>	<p>☑ Stage/Level 1 – Written Test with 60% weightage</p> <p>☑ Stage/Level 2 – Village Immersion/Technical Test with 40% weightage</p> <p><b>Note:</b> For CC position, weightage of written test will be 85% and for minimum required education, it will be 15%. Initially, candidates will be hired provisionally for 6 months. After this, they will be assessed on the basis of their knowledge about work &amp; area, local conditions, culture and capacity to stay in village. After successful assessment, final contract will be extended.</p>

Based on written examination, initial shortlisting will be done after applying respective cut off as mentioned in point 5.

7. For selection of ST/SC candidates, eligibility will be made simple as it is applied in other related selection process. Special efforts will be made to recruit ST/SC candidates.
8. All transparency and fairness will be maintained in selection process and all relevant information regarding selection process will be provided to candidates.

## 2. अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित जिलों की सूची एवं नियुक्ति हेतु दिशा-निर्देश

विज्ञापित संबंधित पदों हेतु झारखण्ड राज्य के कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी संकल्प के अंतर्गत अनुसूचित और गैर-अनुसूचित जिलों के निवासी ही पात्र माने जायेंगे। अनुसूचित और गैर-अनुसूचित जिला निम्नांकित है:-

**अनुसूचित जिला का नाम (कुल जिलों की संख्या-13):-**साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, राँची, खूँटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसाँवा।

**गैर-अनुसूचित जिला का नाम (कुल जिलों की संख्या-11):-**पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरीडीह, देवघर और गोड्डा।

### 1. अनुसूचित जिले हेतु मार्गदर्शन:-

- स्थानीय नीति के तहत इन जिलों हेतु विज्ञापित पदों पर इन्ही जिलों के स्थायी निवासियों से भरा जाना है। अर्थात् संबंधित अनुसूचित जिले के अभ्यर्थी केवल अपने जिले में ही आवेदन करेंगे, अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

### 2. गैर-अनुसूचित जिले हेतु मार्गदर्शन:-

- 11 विभिन्न गैर-अनुसूचित जिला हेतु आबंटित पदों के लिए अभ्यर्थी किसी भी एक जिला के लिए ही पात्र माने जायेंगे। अर्थात् गैर-अनुसूचित जिले के रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष का एक जिला से किया गया आवेदन ही स्वीकार किया जायेगा। उनके द्वारा दिया गया शपथपत्र/कोई सूचना यदि कभी भी असत्य पाया जाता है तो उस अभ्यर्थी विशेष की नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगा। साथ ही इसके लिए उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
- अभ्यर्थियों को संस्था में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मांगे गये सभी योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
- उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमिडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमिडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।

### 3. अन्य महत्वपूर्ण मार्गदर्शन:-

- आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। अथवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- सभी वैसे अभ्यर्थी जो गैर-अनुसूचित जिले हेतु आवेदन समर्पित कर रहे हों, उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय निर्धारित "शपथपत्र" सेक्शन हेतु अपनी सहमति देना आवश्यक होगा। नियुक्ति प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित शपथपत्र लिखित रूप से समर्पित करना अनिवार्य होगा।

**स्थानीयता की पहचान और जातिप्रमाण-पत्र:-**झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग में वर्णित प्रावधान के तहत किया जायेगा। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी किया गया संकल्प के अंतर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के नन-क्रीमीलेयर में आरक्षण का लाभ मानदंड लागू होगा। झारखण्ड राज्य के जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न जिलों के लिए आरक्षित पदों का प्रतिशत अलग-अलग नियत है। अर्थात् सभी जिलों में आरक्षण का अनुपात कोटिवार अलग-अलग है जिसका अनुपालन जिला आरक्षित पदों पर लागू होगा।

**3. विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित आयुसीमा, अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य तकनीकी अर्हता, अनिवार्य कार्यानुभव तथा निर्धारित मानदेय विवरण**

\*विज्ञापित संबंधित पदों हेतु आयु सीमा आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए एवं अधिकतम निम्नानुसार है

क्र.सं.	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा	संबंधित श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए
1.	अनारक्षित	35	45
2.	पिछड़ा/अत्यंतपिछड़ा वर्ग	37	47
3.	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा एवं अत्यंतपिछड़ा वर्ग)	38	48
4.	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (महिला एवं पुरुष)	40	50

विज्ञापित संबंधित पदों हेतु अनिवार्य अर्हताएँ एवं पारिश्रमिक विवरण निम्नानुसार होना आवश्यक होगा।

क्र.	स्तर	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य शर्तें एवं आवेदन स्वीकृति/अस्वीकृति का प्रमुख आधार)	तकनीकी योग्यता (अनिवार्य शर्तें एवं आवेदन स्वीकृति/अस्वीकृति का प्रमुख आधार)	निर्धारित पारिश्रमिक/मानदेय राशि	कार्यानुभव (अनिवार्य शर्तें एवं आवेदन स्वीकृति/अस्वीकृति का प्रमुख आधार)
1	L8	सामुदायिक समन्वयक (CC)	सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से मैट्रिक/10वीं पास (सभी श्रेणी हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण)	N/A	प्रारम्भिक 6 माह की प्रशिक्षण अवधि के दौरान एकमुस्त मानदेय रुपये 12,500/-प्रतिमाह देय होगा। 6 माह की प्रशिक्षण अवधि के उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते जेएसएलपीएस की मानव संसाधन नियमावली के अनुरूप लागू होंगे।	N/A
2	L7	फील्ड थीमैटिक कौर्डिनेटर (FTC)	सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से किसी भी विषय में स्नातक या उससे उपर की डिग्री	N/A	प्रारम्भिक 6 माह की प्रशिक्षण अवधि के दौरान एकमुस्त मानदेय रुपये 15,000/-प्रतिमाह देय होगा। 6 माह की प्रशिक्षण अवधि के उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते जेएसएलपीएस की मानव संसाधन नियमावली के अनुरूप लागू होंगे।	आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के उपरांत कम से कम 1 वर्ष का पूर्णकालिक प्रासंगिक कार्यअनुभव (पद के अनुरूप प्रासंगिक कार्य अनुभव), जो किसी बड़े गरीबी उन्मूलन/आजीविका संवर्धन/सामाजिक अथवा ग्रामीण विकास से संबंधित परियोजना/कार्यक्रम जिसका क्रियान्वयन सरकार/सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाओं/प्रतिष्ठित एनजीओ/संस्थान या किसी प्रासंगिक संस्थान में हो। कार्यअनुभव बताये गये कार्यक्रम से ही संबंधित हो, यह आवश्यक होगा।

3	L 7	एडमिन असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर-जिला (AACCO)	सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री या उससे अधिक डिग्री (पूर्णकालिक या पत्राचार)	मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।	प्रारम्भिक 6 माह की प्रशिक्षण अवधि के दौरान एकमुस्तमान देय रुपये 15,000/-प्रतिमाह देय होगा। 6 माह की प्रशिक्षण अवधि के उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते जेएसएलपीएस की मानव संसाधन नियमावली के अनुरूप लागू होंगे।	
4	L 8	ऑफिस अटेंडेंट-जिला (OA)	सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से किसी भी विषय में इंटरमीडिएट या उससे अधिक डिग्री (पूर्णकालिक या पत्राचार)।		प्रारम्भिक 6 माह की प्रशिक्षण अवधि के दौरान एकमुस्तमान देय रुपये 12,500/-प्रतिमाह देय होगा। 6 माह की प्रशिक्षण अवधि के उपरांत कार्यमूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते जेएसएलपीएस की मानव संसाधन नियमावली के अनुरूप लागू होंगे।	आवश्यक अनुभव प्रतिष्ठित संस्थानों/सरकारी कार्यक्रमों/विकास परियोजना या गैर सरकारी संगठन में कार्यालय के रिकॉर्ड, पत्र और बैंक से संबंधित कार्यों को संभालने के 2 वर्षों का (डिग्री प्राप्त के बाद अनुभव) का कार्य अनुभव।
5	L 7	एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर-प्रखंड (AACCO)	सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री या उससे अधिक डिग्री (पूर्णकालिक या पत्राचार)	मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।	प्रारम्भिक 6 माह की प्रशिक्षण अवधि के दौरान एकमुस्तमान देय रुपये 15,000/-प्रतिमाह देय होगा। 6 माह की प्रशिक्षण अवधि के उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफलपाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते जेएसएलपीएस की मानव संसाधन नियमावली के अनुरूप लागू होंगे।	
6	L 8	ऑफिस कम अकाउंट असिस्टेंट-प्रखंड (OCA)	सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से कॉमर्स विषय में स्नातक या उससे अधिक डिग्री (पूर्णकालिक या पत्राचार)।	मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।	प्रारम्भिक 6 माह की प्रशिक्षण अवधि के दौरान एकमुस्तमान देय रुपये 12,500/-प्रतिमाह देय होगा। 6 माह की प्रशिक्षण अवधि के उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते जेएसएलपीएस की मानव संसाधन नियमावली के अनुरूप लागू होंगे।	